I

राजस्थानसरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

दूरभाषनं. 0141–2227677ई–मेल jdagr.atc.agri@rajasthan.gov.in

कमांक: एफ 8(5)/आ.कृ./एटीसी/गोवर्धन जै.उर्व.यो./2024–25/3451-3570 दिनांक : 10/09/2024

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त...................................

विषयः–मुख्यमंत्री बजट घोषणा (वर्ष 2024–25) की क्रियान्वयन हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के दिशा–निर्देश एवं लक्ष्य आवंटन।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा (वर्ष 2024–25) अनुसार कृषकों के लिये गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु "गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना" के तहत वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण करवाकर वर्मी कम्पोस्ट को जैविक खेती के लिए उपयोग में लिया जाना है। जैविक खाद के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति को बढावा देने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं :–

(अ) कृषकों के लिए निर्देश

1 **अनुदान के लिये पात्रता :–**

1.1 आवेदक कृषक के पास कम से कम 05 गोवंश होने चाहिए।

1.2 कृषक के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो, ऐसे कृषक गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना अन्तर्गत अनुदान के पात्र होंगे। संयुक्त खातेदारी की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर ही एक ही खसरे में अलग–अलग वर्मीकम्पोस्ट इकाई बनाने पर अनुदान के लिए पात्र होंगे।

1.3 कृषक के स्वयं के नाम से भू–स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू–स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषक भी अनुदान हेतु पात्र माने जायेंगे।

1.4 राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के बिंदु संख्या 4 के अनुसार मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में कृषि विभाग की योजनानुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने के अधिकारी होने के क्रम में मंदिर के नाम खेती की जमीन पर वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण करने पर निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में अनुदान के लिये पात्र होगें।

2 **आवेदन प्रक्रिया :–**

2.1 कृषक नजदीकी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर किसान/नागरिक लॉग इन पर जाकर जनाधार नम्बर/एसएसओ आई.डी. के माध्यम से आवेदन कर सकेगा।

2.2 आवेदन पत्र को ई–प्रपत्र (e-Form) में भरा जावेगा एवं आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी नही हो) को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करने होंगे।

Signature valid
Digitally signed by Hari Shankar Meena
Designation : Additional Director
Date: 2024.09.10 11:39:02 IST
Reason: Approved

2.3 आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति की सूचना ऑनलाइन आधार में पंजीकृत मोबाईल पर एसएमएस द्वारा प्राप्त होगी।

2.4 आवेदन पत्र की Online Scrutiny के समय आवेदन में कोई कमी पायी जाने पर आवेदक को आधार से जुडे मोबाईल नम्बर पर इस बाबत् संदेश (SMS) भेजा जाएगा। आवेदक को 15 दिवस के अन्दर राज किसान साथी पोर्टल पर कमी की पूर्ति करनी होगी अन्यथा 15 दिवस के बाद आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

2.5 आवेदनकर्ता राज किसान सुविधा मोबाईल एप पर आवेदन की स्थिति/प्रगति की जानकारी ऑनलाईन देख सकते हैं।

2.6 किसी भी स्थति में ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।

3 अनुदान :—

जैविक उर्वरक उत्पादन हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000/— रूपये प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात कृषकों को अनुदान देय होगा।

वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण:—

i. वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना के लिये 20 फीट x 3 फीट x 1.5—2.0 फीट आकार की एक बेड की इकाई या 10 फीट x 3 फीट x 1.5 —2.0 साईज की 2 बेड की इकाई पर अनुदान देय होगा।

ii. शेड में काम में आने वाली सामग्री स्थानीय उपलब्धता के अनुसार कृषक द्वारा बनायी जा सकती है। इसके लिये स्थानीय सामग्री/टीन आदि की छाया सामग्री उपयोग में ली जायें।

iii. एक इकाई के लिये कम से कम 8—10 किलोग्राम केंचुए कृषक द्वारा स्वयं के स्तर से क्रय किये जायेगें।

iv. प्रत्येक बेड में ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजोटोबेक्टर कल्चर एवं नीम की खली उपयोग में स्वयं के स्तर से पर उपलब्धता अनुसार उपयोग कर सकते हैं।

v. वर्मी कम्पोस्ट इकाई का कम से कम तीन वर्ष तक रख रखाव कृषक द्वारा किया जायेगा।

vi. वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिये सहायक सामग्री जैसे— दांतली, पंजा झारा, पाईप, फावड़ा, परात आदि उपकरण भी कृषक के पास उपलब्ध हो।

vii. जिला अधिकारी या उसके प्रतिनिधि कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा इकाई के भौतिक सत्यापन उपरान्त ही अनुदान जारी किया जाऐं।

viii. आवेदक को अनुदान राशि का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से किया जायेगा।

ix. कार्यशील इकाई का जीयो टेगिंग युक्त फोटोग्राफ जिसमें कृषक एवं भौतिक सत्यापनकर्ता हो तथा दिनांक व समय अंकित हो, को कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित रखा जाएँ।

x. गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण **परिशिष्ट—1** पर संलग्न है। पंचायत समितिवार लक्ष्यों का आवंटन संबंधित संयुक्त निदेशक जिला परिषद द्वारा किया जायेगा।

xi. कृषक द्वारा वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण उपरान्त निर्मित संरचना पर/के नजदीक निम्नानुसार विवरण अंकित कराया जावे :—

> मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2024—25 अन्तर्गत
> कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुदान सहायता से गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अन्तर्गत
> वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण
>
> 1. योजना का नाम .... वर्ष ....
> 2. लाभान्वित कृषक श्री .... पुत्र श्री.............................. मोबाईल नम्बर .... ग्राम.............................. पंचायत..............................पंचायत समिति..............................
> 3. स्वीकृत अनुदान राशि.............................. रूपये
> 4. भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम .... व मोबाईल नम्बर .... नाम कार्यालय ....

Signature valid
Digitally signed by Hari Shankar Meena
Designation : Additional Director
Date: 2024.09.10 11:39:02 IST
Reason: Approved

xii. कृषक द्वारा वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण का कार्य पूर्ण करने के बाद राजकिसान सुविधा मोबाईल एप के माध्यम से अथवा कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी को कार्य पूर्ण होने की सूचना दी जायेगी, ताकि भौतिक सत्यापन किया जा सके।

xiii. कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त वर्मीकम्पोस्ट इकाई के रख–रखाव आदि कार्य की जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।

xiv. प्रत्येक कृषक को ईट की दीवार निर्माण गड्डा खुदाई 8–10 किलो केंचुए (स्वयं के स्तर से कय करें) छाया, पानी की व्यवस्था, मजदूरी आदि की व्यवस्था कृषक द्वारा की जावेगी।

xv. इकाई निर्माण पर प्रयुक्त ईट, बजरी, मजदूरी एवं केंचुए उपयोग आदि सामग्री के बिल हेतु कृषक को बाध्य नहीं किया जायेगा।

(ब) विभागीय कार्यालयों के लिए निर्देश:–

4 आवेदन पत्रों का निस्तारण :–

4.1 सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे, जिलेवार एवं श्रेणीवार आवंटन अनुसार प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम 50 कृषकों को वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्वीकृत की जावें।

4.2 ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा Online Scrutiny की जावेगी।

4.3 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व दिए गए प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर सुनिश्चित किया जावे कि :– ब्लाकवार "पहले आओ–पहले पाओ" के आधार पर ही आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा।

प्री–वेरिफिकेशन

4.4 वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण का प्री–वेरिफिकेशन राज किसान साथी पोर्टल द्वारा आंवटित विभागीय अधिकारी/कार्मिकों द्वारा किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के समय कृषक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

4.5 पात्र कृषक का प्री–वेरिफिकेशन संबंधित सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा दस दिवस में पूर्ण कर ऑनलाईन पत्रावली संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

4.6 वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण से पूर्व राजकिसान सत्यापन एप से जियोटेगिंग कर कृषक का फोटो, खेत का नक्शा मय खसरा संख्या तथा वर्मीकम्पोस्ट इकाई बनाये जाने की लोकेशन आदि भी अंकित कर राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

4.7 वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण का प्री–वेरिफिकेशन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कृषक द्वारा आवेदित वर्मीकम्पोस्ट इकाई का स्थान किसी प्रकार के रकबा राजकीय/रास्ता इत्यादि क्षेत्र में नहीं हो।

4.8 यदि भौतिक सत्यापनकर्ता को सन्देह हो कि प्रस्तावित वर्मीकम्पोस्ट इकाई का स्थान सरकारी भूमि/चारागाह/सिवाय चक/रास्ता इत्यादि क्षेत्र में है तो पटवारी से इस बाबत प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। सामान्य प्रकरण में पटवारी के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4.9 वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण हेतु आवेदन के समय अंकित खसरा मे प्री–वेरिफिकेशन तक आवेदक की प्रार्थना पर परिवर्तन किया जा सकेगा। प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त खसरा संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

Signature valid
Digitally signed by Hari Shankar Meena
Designation : Additional Director
Date: 2024.09.10 11:39:02 IST
Reason: Approved

5 प्रशासनिक स्वीकृति :–

5.1 प्री–वेरिफिकेशन उपरान्त संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अनुदान हेतु पात्र, वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण की पत्रावलियों की 10 दिवस मे कार्यवाही पूर्ण कराई जाकर कार्य कराये जाने हेतु "प्रशासनिक स्वीकृति" जारी करेगा।

5.2 प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात यदि कृषक द्वारा 7 दिवस में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो कृषक को एसएमएस के माध्यम से अंतिम सूचना दी जायेगी। उसके पश्चात् 45 दिवस में कार्य पूर्ण नहीं करने पर प्रशासनिक स्वीकृति को निरस्त मानी जाएगी, ताकि वरियता क्रम में आने वाले अगले कृषक की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकें। विशेष परिस्थितियों में कृषकों के व्यापक हित में कृषि आयुक्तालय द्वारा उक्त अवधि में शिथिलता दी जा सकेगी।

5.3 वित्तीय वर्ष में जारी प्रशासनिक स्वीकृति पर कृषक द्वारा 31 मार्च तक ही कार्य पूर्ण किया जाएगा।

5.4 योजना के प्रावधान अनुसार उप जिले को ब्लॉकवार आवंटित लक्ष्यों के मध्यनजर ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे। संबंधित कार्यालयों को आवंटित वित्तीय प्रावधानों से अधिक प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

5.5 कार्यालय द्वारा जारी "प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में संबंधित कृषक को मोबाईल पर एस.एम.एस भेजा जायेगा। संबंधित सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भी कृषक को सूचित किया जावेगा जिससे कृषक कार्य प्रारम्भ कर सके।

6 भौतिक सत्यापन :–

6.1 कृषक द्वारा वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण के उपरान्त भौतिक सत्यापन राज किसान साथी पोर्टल द्वारा आंवटित विभागीय अधिकारी/कार्मिकों द्वारा किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के समय कृषक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6.2 भौतिक सत्यापन के समय सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6.3 प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरांत बनाई गई वर्मीकम्पोस्ट इकाई पर ही अनुदान देय होगा। प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व में बनाये गयी वर्मीकम्पोस्ट इकाई पर अनुदान देय नहीं होगा।

6.4 भौतिक सत्यापन के दौरान संबंधित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी अनुदान हेतु पात्र कृषक के वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण का राजकिसान सत्यापन एप के माध्यम से जियोटेगिंग कर कृषक का फोटो, खेत के नक्शा मय खसरा संख्या अंकित कर अपलोड करेंगे।

7 वित्तीय स्वीकृतिः–

7.1 सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सुनिश्चित करेंगे कि वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण में कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की गई है।

7.2 वर्मीकम्पोस्ट इकाई के भौतिक सत्यापन उपरान्त विभागीय दिशा–निर्देशानुसार पाये जाने पर कृषकों को अनुदान राशि का भुगतान जनाधार से जुडे खाते में सबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Hari Shankar Meena
Designation : Additional Director
Date: 2024.09.10 11:39:02 IST
Reason: Approved

8. निरीक्षण :–

8.1 स्वीकृत कार्यो का अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड द्वारा 2 प्रतिशत, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् द्वारा 5 प्रतिशत, संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा 5 प्रतिशत, कृषि अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत निरीक्षण राज किसान साथी पोर्टल पर विकसित मोड्यूल के माध्यम से किया जावेगा।

8.2 संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् प्रत्येक माह की कार्य योजना तैयार की जाकर क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियो से विचार विमर्श कर निर्धारित कार्यो की समय–2 पर समीक्षा कर प्रत्येक माह प्रगति से खण्डीय कार्यालय को अवगत करायेंगे।

9 सामान्य निर्देश:–

9.1 उप जिला स्तर पर स्वीकृति प्रदत्त आवेदनों के ब्लाकवार रिकार्ड का संधारण किया जावेगा।

9.2 योजना के प्रावधान अनुसार उप जिले को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के मध्यनजर ही ब्लाकवार प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे। किसी भी स्थति में संबंधित कार्यालयों को आवंटित वित्तीय प्रावधानों से अधिक प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

9.3 वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी मामले के विवाद में आयुक्त कृषि, जयपुर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। न्यायिक मामलों में क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

9.4 जिलों को वर्मीकम्पोस्ट इकाई के आवंटित लक्ष्यों के विरूद अर्जित प्रगति की ब्लॉकवार सूचना आगामी माह की 5 तारीख तक, संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद द्वारा एटीसी शाखा, कृषि आयुक्तालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करेगें। खंडीय अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), प्रत्येक माह कार्यक्रम की समीक्षा कर खण्ड की प्रगति से मुख्यालय को अवगत करायेगें।

Work Flow Chart–Vermi compost unit

Vermi compost unit Application Received

↓

Document Scrutiny Approve (7 Days)

↓

Pre Verification (10 Days)

↓

A/S Generated (10 Days)

↓

Vermi compost unit Construction work Completed by Farmer (45 Days)

↓

Post Verification (10 Days)

↓

F/S issue (10 Days)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(एच.एस. मीना)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान)

Signature valid
Digitally signed by Hari Shankar Meena
Designation : Additional Director
Date: 2024.09.10 11:39:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10103650